भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक **13 जुलाई, 2026**

**(असाधारण भाग I — खंड -1)**

**अधिसूचना**

**सरकारी प्रतिभूति (जी एस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी**

एफ.संख्या.4(1)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2026: भारत सरकार एतद द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है।

| प्रतिभूति का नाम | मूल निर्गम की तारीख | मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन) | परिपक्वता की तारीख | नीलामी का आधार | नीलामी की विधि | अधिसूचित राशि (करोड़ ₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.03% सरकारी प्रतिभूति 2029 | 27 जनवरी, 2026 | 03-00-00 | 27 जनवरी, 2029 | मूल्य | विविध | 11,000 |
| 6.68% सरकारी प्रतिभूति 2033 | 27 जनवरी, 2026 | 07-00-00 | 27 जनवरी, 2033 | मूल्य | विविध | 11,000 |
| 7.24% सरकारी प्रतिभूति 2055 | 18 अगस्त, 2025 | 30-00-00 | 18 अगस्त, 2055 | मूल्य | विविध | 10,000 |

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा । यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना फा. सं. 4(2)-बी(ड्ब्लल्यूएंडएम)/2018, दिनांक 26 मार्च 2025 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई - 400001 के माध्यम से बेची जाएगी।

**अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन**

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूति पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

**नीलामी का स्थान एवं तारीख**

3. यह नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा **17 जुलाई, 2026** को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर प्रणाली) संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **17 जुलाई, 2026** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे** के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां **पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे** के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**जब निर्गमित कारोबार**

4. ये प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार '**जब निर्गमित**' कारोबार के लिए पात्र होंगी।

**निर्गम की तारीख और प्रतिभूति के लिए भुगतान**

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपने वैबसाइट (www.rbi.org.in) पर **17 जुलाई, 2026** को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **20 जुलाई, 2026** अर्थात् **पुनर्निर्गम की तारीख** को किया जाएगा। प्रतिभूतियों के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर मूलनिर्गम/पिछले कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

**ब्याज का भुगतान और प्रतिभूति का पुनर्भुगतान**

6. **मूल निर्गम/पिछले कूपन भुगतान** की तारीख से प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

| **प्रतिभूति का नाम** | **कूपन दर (%)** | **पिछले कूपन भुगतान की तारीख** | **किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है** | **कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)** |
|---|---|---|---|---|
| 6.03% सरकारी प्रतिभूति 2029 | 6.03 | नई प्रतिभूति | 19 जुलाई, 2026 | 27 जुलाई और 27 जनवरी |
| 6.68% सरकारी प्रतिभूति 2033 | 6.68 | नई प्रतिभूति | 19 जुलाई, 2026 | 27 जुलाई और 27 जनवरी |
| 7.24% सरकारी प्रतिभूति 2055 | 7.24 | 18 फरवरी, 2026 | 19 जुलाई, 2026 | 18 अगस्त और 18 फरवरी |

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

व्यासन आर

( व्यासन आर.)

**संयुक्त सचिव, भारत सरकार**